न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी

प्रकरण स. (07/2025) 124/2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर

बनाम

1. साद आरिफ माधिया पुत्र आरिफ, मैसर्स अनमोल प्लाजा एन. एच. 79 गांव सिंघावल तह0 भिनाय
2. मैसर्स अनमोल प्लाजा एन. एच. 79 गांव सिंघावल तह0 भिनाय

प्रार्थना पत्र अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) एवं धारा 51

उपस्थिति :

(1) पेरोकार सरकार उपस्थित।

दिनांक: 25.11.2025

::–**निर्णय**–::

परिवादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.05.2024 को 03:00 पीएम पर प्रार्थी वास्ते निरीक्षण मैसर्स अनमोल प्लाजा एन. एच. 79 गांव सिंघावल तह0 भिनाय पहुंचा। उस समय मौके पर विक्रेता एवं मालिक साद आरिफ माधिया उपस्थित था। जिसने मांगने पर फर्म के खाद्य रजिस्ट्रेशन, स्वयं का आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की। जिसने आम जनता को बेचने हेतु 10 किलोग्राम ग्रेवी (रिफाईड सोयाबिन तेल से तैयार) रखी थी। जिसमें मिलावट का शक होने पर प्रार्थी ने प्रपत्र 5अ भरकर विक्रेता को दिया तथा विक्रेता को मिल्क केक का नमूना एफएफएसए के तहत लेने बाबत बता दिया। प्रार्थी ने उक्त ग्रेवी में से वास्ते नमूना जांच 02 किलोग्राम खरीदकर उसकी कीमत 400/– रूपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाह तथा प्रार्थी के हस्ताक्षर है।

प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाह को चार साफ, सुखी, खाली प्लास्टिक बोतले दिखाकर प्रत्येक बोतल में खरीदशुदा ग्रेवी में से 500 ग्राम डालकर प्रत्येक बोतल में 40–40 बूंदे फॉरमलिन की डालकर एयर टाइट ढ़क्कन लगाकर बंद किया एवं चार लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक, नाम पता, वस्तु का नाम, दिनांक, स्थान, डाले गये परिरक्षक का नाम व मात्रा दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। उक्त तैयार लेबल में एक एक लेबल प्रत्येक नमूना बोतल पर गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग भूरे कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए–4327 नियमानुसार चारों नमूना पेकेट पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व रेपर पर होते हुये करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर किये और चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर हस्ताक्षर किये विक्रेता व गवाहान को पढ़कर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करवाये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया उसका मोनोग्राम मौके पर मौका फर्द पर अंकित किया।

प्रार्थी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

कराकर फार्म सं. 6 की रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर मे सीलबंद कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/3336 दिनांक 04.06.2024 के साथ खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. पीएच लैब/एलएस/615/एक्ट/2024/643 दिनांक 29.05.2024 अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया उक्त ग्रेवी (रिफाईड सोयाबिन तेल से तैयार) अवमानक (Substandard) पाया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर ने प्रार्थी को यह पत्रावली न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। प्रकरण में विक्रेता ने अवमानक (Substandard) ग्रेवी (रिफाईड सोयाबिन तेल से तैयार) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी दौराने बहस अनुपस्थित रहा। बहस एकपक्षीय सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **ग्रेवी (रिफाईड सोयाबिन तेल से तैयार)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा दण्डनीय धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ति लगाया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अजमेर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) एवं नियम 2011 की धारा 51 का स्वीकार किया जाता है। अतः अप्रार्थी गणपतसिंह राजपुरोहित पुत्र सगसिंह, मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, सरकारी स्कूल के सामने केकड़ी रोड़, सावर के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 25.11.2025 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

25/11/25

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट केकड़ी

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी